केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

संचिका सं.CICOM/R/2017/01004 दिनांक. 16.08.2017

सेवा में,

श्री बाबूराम गोगल,

विषयः- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 18.07.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 10.08.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 155869) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 11.08.2017 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में वांछित सूचना निम्नानुसार है:-

बिंदु सं. 1	वांछित सूचना उपलबध नहीं है, जन सूचना अधिकारी सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत रिकार्ड में उपलब्ध सूचनाएं ही प्रदान कर सकता है । प्रसंगवश उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आयोग में द्वितीय अपील प्राप्त होने पर संबंधित सूचना आयुक्त द्वारा ही आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।
बिंदु सं. 2	यदि केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश का अनुपालन संबंधित विभाग/कार्यालय के जन सूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश सं. का उल्लेख करते हुए आदेश का अनुपालन हेतु आयोग को पत्र लिखा जा सकता है, इसके लिए आयोग में नॉन-कम्पलाईंस सेल भी बना हुआ है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त कांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066, दूरभाष सं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

(signature)

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल